# कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001 Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2022/ 8088 सीहोर दिनांक 8./8../2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
संभाग बुधनी, जिला सीहोर।

**विषयः-** परिक्षेत्र लाड़कुई मे खेरी से डोगलापानी मार्ग के निर्माण हेतु 4.500 हेक्टेयर वन भूमि वनसंरक्षण 1980 के तहत् ऑनलाईन आवेदन। (FP/MP/Road/149236/2021)

**संदर्भः-** आपका पत्र क्रमांक/1649/टी.एस./2022-23 दि. 02.08.2022

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि प्रकरण में आपके द्वारा परिक्षेत्र लाड़कुई मे प्रस्तावित खेरी से डोगलापानी मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के निर्माण हेतु 4.500 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् ऑनलाईन आवेदन क्रं/FP/MP/Road/149236/2021 से पंजीबद्ध कर प्रस्ताव की हार्डकापी इस कार्यालय मे प्रेषित की गई है।

अतः प्रकरण वनमण्डल द्वारा ऑन लाईन भरा जाने वाला भाग-2 की पूर्ति हेतु मौके पर ले-आउट (सीमांकन एवं चिन्हांकन) उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी लाड़कुई से सम्पर्क कर निम्नलिखित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

1. मौके पर सीमांकन का कार्य वन विभाग के अमले के समक्ष करावें तथा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करावे।
2. प्रस्तावित स्थल को वन मानचित्र स्केल 1:12500 एवं 1:50000 पर उल्लेखित कर प्रत्येक 100 मीटर की जी.पी.एस. रीडिंग दर्शित करते हुए संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत प्रेषित करावें।
3. प्रस्तावित क्षेत्रफल लंबाई एवं चौड़ाई (कक्ष अनुसार) रकबा सहित।
4. प्रभावित वन भूमि में विदोहन हेतु प्रस्तावित खड़े वृक्षों की गणना, सूची, गोशवारा, फार्म 30, अपसेट प्राईज तथा विदोहन व्यय की राशि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न करावें।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी की 24 बिंदुओं का निरीक्षण प्रतिवेदन।
6. वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण पत्र (गोलाई, दर, राशि) सहित।
7. प्रस्तावित मार्ग की वर्तमान चौड़ाई सोल्डर सहित की जानकारी।
8. प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय उद्यान अथावा अभ्यारण्य से होकर तो नही गुजरता तथा प्रस्तावित मार्ग की निकटतम अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की न्यूनतम दूरी।
9. निम्न तालिका अनुसार जानकारीः-

| वन खण्ड | कक्ष क्रं | ल.(मी.) चैनेज अनुसार | उपलब्ध चौड़ाई (ROW) मी. में | | | | यदि उपलब्ध (ROW) में वृक्ष प्रभावित हो रहे है तो विवरण एवं कितनी चौड़ाई आने पर वृक्ष प्रभावित हो रहे है। वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। | घनत्व | वन का प्रकार | प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रत्येक टॅर्निग पाईट की जी.पी.एस. रीडिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डामरीकृत/ पक्का मी. में | बाया सोल्डर | दाया सोल्डर | कुल चौ. बिना वृक्ष प्रभावित | | | | अक्षांश | देशांश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0 मी. | | | | | | | | | |
| | | 50 मी. | | | | | | | | | |

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार करावे।

डॉ.अनुपम सहाय भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2022/8089 सीहोर, दिनांक ..8./..8..../2022

प्रतिलिपि :-

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी लाड़कुई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपकी ओर प्रस्ताव की एक मूलप्रति प्रेषित की जा रही है आवेदक विभाग द्वारा मौके पर ले-आउट (सीमांकन/चिंहाकन) उपरांत पत्र मे उल्लेखित बिंदुओ की जानकारी तैयार कर प्रस्ताव मे संलग्न मानचित्रों मे आपके स्वयं के हस्ताक्षर उपरांत जांच प्रतिवेदन एवं मूल हार्डकापी समय सीमा मे प्रेषित कराना सुनिश्चित करे। यदि आवेदक विभाग द्वारा संपर्क नही किया जाता है। तो अविलंब इस कार्यालय को सूचित करे।
2. उपवनमण्डलाधिकारी बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर